ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 62-63**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

भारत में शिक्षा का अधिकार तथा कानून का क्रियान्वयन

डॉ0 कपिल मुनि सिंह, 2. पुतुल कुमारी

समाजशास्त्र विभाग, बी. डी. कालेज, 2. शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (बिहार) भारत

Received-11.09.2025, Revised-18.09.2025, Accepted-23.09.2025 E-mail : advputulkumari@gmail.com

सारांशः शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है, बल्कि सामाजिक समानता, न्याय और सशक्तिकरण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना एक बड़ी चुनौती रही है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया।

कुंजीभूत शब्द– स्वतत्रंता, समानता, राष्ट्रीयता, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति, गुलामी, क्रांति, स्वराज, अधिकार, वैदिक धर्म।

भारत में शिक्षा के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर अत्यंत कम थी। संविधान निर्माताओं ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए इसे नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया।

- अनुच्छेद 45: राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश।
- प्रारंभ में यह एक नैतिक दायित्व था, कानूनी अधिकार नहीं।

लगातार प्रयासों, न्यायिक हस्तक्षेप और सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप—

- 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 पारित हुआ।
- इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21–। जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act)– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधानः

1. **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा**
   - 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार।
   - स्कूल किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क नहीं ले सकता।
2. **विद्यालय में प्रवेश का अधिकार**
   - आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश।
   - विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था।
3. **निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण**
   - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए।
   - सरकार द्वारा शुल्क की प्रतिपूर्ति।
4. **भेदभाव निषेध**
   - जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।
   - शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध।
5. **शिक्षक से संबंधित प्रावधान**
   - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य।
   - छात्र–शिक्षक अनुपात निर्धारित।
   - गैर–शैक्षणिक कार्यों पर प्रतिबंध।
6. **विद्यालय मानक**
   - भवन, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय और खेल सामग्री की अनिवार्यता।
   - स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) का गठन।

शिक्षा के अधिकार कानून का क्रियान्वयन–

1. केंद्र सरकार की भूमिका

- नीति निर्माण और वित्तीय सहायता।
- समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से RTE का क्रियान्वयन।
- डिजिटल पहलः DIKSHA, PM e-VIDYAA

2. राज्य सरकारों की भूमिका

- शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण।
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन।

3. स्थानीय निकाय और समुदाय

- ग्राम पंचायत, नगर निगम की भागीदारी।
- स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा निगरानी।
- अभिभावकों की सहभागिता।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

शिक्षा के अधिकार से प्राप्त उपलब्धियाँ–

1. **नामांकन दर में वृद्धि**
   - प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन।
   - बालिकाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी में वृद्धि।
2. **ड्रॉप–आउट दर में कमी**
   - मध्याह्न भोजन योजना और निःशुल्क सुविधाओं से बच्चों का ठहराव बढ़ा।
3. **सामाजिक समावेशन**
   - निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश।
   - सामाजिक समानता को बढ़ावा।
4. **शिक्षा का अधिकार एक कानूनी सुरक्षा**
   - अभिभावक न्यायालय का सहारा ले सकते हैं।

क्रियान्वयन में चुनौतियाँ–

1. **गुणवत्ता की समस्या**
   - सीखने के स्तर में गिरावट।
   - केवल नामांकन पर अधिक ध्यान।
2. **शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण**
   - कई राज्यों में शिक्षक पद रिक्त।
   - प्रशिक्षण की गुणवत्ता असमान।
3. **बुनियादी ढाँचे की कमी**
   - ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल सुविधाओं का अभाव।
4. **25% आरक्षण का सीमित प्रभाव**
   - निजी स्कूलों की अनिच्छा।
   - जागरूकता की कमी।
5. **वित्तीय संसाधनों की कमी**
   - राज्यों पर आर्थिक बोझ।
   - समय पर प्रतिपूर्ति न होना।

न्यायिक भूमिका– भारतीय न्यायपालिका ने शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ किया है:

- मोहीनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992): शिक्षा जीवन के अधिकार का हिस्सा।
- उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993): प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार माना।
- RTE अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया।

सुधार के सुझाव–

1. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर**
   - सीखने के परिणाम आधारित नीति।
2. **शिक्षक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण**
   - निरंतर व्यावसायिक विकास।
3. **डिजिटल शिक्षा का विस्तार**
   - ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा।
4. **सामुदायिक सहभागिता**
   - अभिभावकों और स्थानीय निकायों की सक्रिय भूमिका।
5. **निगरानी और मूल्यांकन**
   - पारदर्शी तंत्र और जवाबदेही।

निष्कर्ष– शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के सामाजिक इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। इसने शिक्षा को दान नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में स्थापित किया है। यद्यपि क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, फिर भी यह कानून लाखों बच्चों के जीवन में आशा की किरण बनकर उभरा है। यदि सरकार, समाज और नागरिक मिलकर इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रयास करें, तो भारत को एक शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।

*****